मु.नं.–50 / 2020 GCMS ID-2020/00095 ता.रजु–15.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

साधुराम पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जाति अग्रवाल ग्राम भझेडा तहसील टोड़ाभीम जिला करौली हाल निवास 75 ए, गोपाल विहार द्वितीय पुलिस लाईन, बांरा रोड, कोटा (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोड़ाभीम – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–02.11.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 एवं गुर्जर आरक्षण आंदोलन में कानून व्यवस्था के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 26.10.2020, 28.10.2020 व 02.11.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2012 व 12.03.2012 पर तथ्यात्मक रिपोर्ट से संबंधित कुल 13 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक–सू.अधि. / 2020 / 2257–2258 दिनांक 12.10.2020 से अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है। उक्त सूचना पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
7. इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना पर अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने एवं अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली